न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
20 / 2013 / प्रा.पत्र / 2013	25.11.2013	27.07.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1—विक्रेता श्री रामावतार गुप्ता पुत्र श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता जाति महाजन निवासी केकडी रोड टोडारायसिंह जिला टोंक मैसर्स मोदी एण्ड कम्पनी कटला बाजार टोडारायसिंह जिला टोंक
2—मैसर्स मोदी एण्ड कम्पनी कटला बाजार टोडारायसिंह जिला टोंक
3—श्री ओम प्रकाश सोलीवाल पुत्र श्री बाबूलाल सोलीवाल निवासी लाहिया ब्यावर जिला अजमेर राज. प्रोपराईटर मेसर्स किशन लाल एण्ड कम्पनी लोहिया बाजार पांच बत्ती के पास ब्यावर जिला अजमेर
4—मेसर्स किशन लाल एण्ड कम्पनी लोहिया बाजार पांच बत्ती के पास ब्यावर जिला अजमेर
5—निदेशक श्री निरंजन लाल डाटा मैसर्स रघुवर (इण्डिया) लिमिटेड, स्टेशन रोड, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा रोम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, एसपीएल नं. 1, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, हीरावाला, कानोता, जयपुर
6—निदेशक, श्री विजय डाटा मैसर्स रघुवर (इण्डिया) लिमिटेड, स्टेशन रोड, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा रोम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, एसपीएल नं. 1, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, हीरावाला, कानोता, जयपुर
7—निदेशक सुरेश खण्डेलवाल मेसर्स रघुवर (इण्डिया) लिमिटेड, स्टेशन रोड, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा रोम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, एसपीएल नं. 1, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, हीरावाला, कानोता, जयपुर
8—निदेशक, श्री दया किशन डाटा मैसर्स मेसर्स रघुवर (इण्डिया) लिमिटेड, स्टेशन रोड, दुर्गापुरा, जयपुर द्वारा रोम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, एसपीएल नं. 1, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, हीरावाला, कानोता, जयपुर
9—निदेशक, श्री दीन दयाल जैन निवासी 7—8, गणेश कॉलोनी, झोटवाडा, जयपुर
10—मैसर्स रघुवर (इण्डिया) लिमिटेड, द्वारा रोम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, एसपीएल नं. 1, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, हीरावाला, कानोता, जयपुर

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार उप.।
2—अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक श्री विक्रम जैन अनुपस्थित ।

:—निर्णय—: दिनांक 27.07.2022

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.02.2013 को समय 03:00 पीएम पर मैसर्स मोदी एण्ड कम्पनी कटला बाजार टोडारायसिंह जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर श्री रामावतार गुप्ता पुत्र श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री रामावतार गुप्ता ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में 50 टीन 15 लीटर पैक के **कच्ची घाणी सरसों तेल (हनुमान ब्राण्ड)** रखे हुए थे जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री रामावतार गुप्ता को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर. एफ.बी.ओ को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री रामावतार गुप्ता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **कच्ची घाणी सरसों तेल (हनुमान ब्राण्ड)**, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, एक किलो 600 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **कच्ची घाणी सरसों तेल (हनुमान ब्राण्ड)** को हिला–मिलाकर कर पूर्णतया होमोजिनियस कर चार कांच की खाली साफ सूखी शिशियों में बराबर–बराबर चार भागों में विभाजित कर, ढक्कन से एयर टाईट किया एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–447 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता श्री रामावतार गुप्ता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–447 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री रामावतार गुप्ता पुत्र श्री हनुमान प्रसाद गुप्ता ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स किशन लाल एण्ड कम्पनी लोहिया बाजार पांच बत्ती के पास ब्यावर जिला अजमेर का बिल पेश कर उपरोक्त **कच्ची घाणी सरसों तेल (हनुमान ब्राण्ड)** क्रय करना बताया जिसे आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज हेतु पत्र प्रेषित करने पर फर्म ने उपरोक्त तेल मैसर्स रघुवर (इण्डिया) लिमिटेड, द्वारा रोम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, एसपीएल नं. 1, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, हीरावाला, कानोता, जयपुर का बिल प्रेषित किया जिसे पत्र प्रेषित कर मालिक भागीदारों के नाम पते चाहे गये लेकिन सूचना प्राप्त नहीं हुई। इस पर आवेदक ने श्रीमान सहायक आयुक्त,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

वाणिज्यिक कर, जयपुर को पत्र प्रेषित कर मालिक भागीदारों के नाम पते चाहे गये जिसके प्रतिउत्तर में निदेशकों के नाम प्राप्त हुए।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./13/1381 दिनांक 01.04.2013 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट स. एल.एस./19/एफएसएसए/2013/19 दिनांक 26.02.2013 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया **कच्ची घाणी सरसों तेल (हनुमान ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i)(zx) के अनुसार **अवमानक (Substandard)** स्तर का होना पाया गया जिसकी सूचना फर्मों को भेजी गई।

प्रतिनिधि मैसर्स मैसर्स रघुवर (इण्डिया) लिमिटेड, द्वारा रोम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, एसपीएल नं. 1, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, हीरावाला, कानोता, जयपुर ने जांच रिपोर्ट प्राप्ति पश्चात् पुनः जांच हेतु अपील प्रस्तुत की जिस पर नमूना पुनः जांच हेतु निदेशक, रेफरल फूड लेबोरेट्री, गाजियाबाद को भिजवाया गया।

निदेशक, रेफरल फूड लेबोरेट्री, गाजियाबाद से प्राप्त पत्र क्रमांक सी265/13–आर. एफ.एल./612 दिनांक 31.10.2013 एवं फार्म–ए, सर्टिफिकेट नं. 265/अक्टूबर/13 राज. के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया **कच्ची घाणी सरसों तेल (हनुमान ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i)(zx) के अनुसार **अवमानक (Substandard)** स्तर का होना पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य हैं। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री विक्रम जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब हेतु समय चाहा। परन्तु अभिभाषक अप्रार्थीगण को कई अवसर देने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया गया और ना ही अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **कच्ची घाणी सरसों तेल (हनुमान ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Substandard)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **कच्ची घाणी सरसों तेल (हनुमान ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Substandard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/–(अक्षरे एक लाख रू0), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 2,00,000/–(अक्षरे दो लाख रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 5 ता 10 पर कुल शास्ति रूपये 5,00,000 (अक्षरे पांच लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

निर्णय दिनांक 27.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 27.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक राज0